न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/593

1. शिवजी लाल आत्मज ऐलची राम ।
2. देवीशंकर आत्मज ऐलचीराम ।
3. राजमल आत्मज ऐलचीराम ।
4. नूरका बेवा ऐलचीराम जातियान कीर निवासीगण शिवपुरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. दुर्गा लाल आत्मज लालाराम ।
2. फून्दी लाल आत्मज लालाराम ।
3. हीरा लाल आत्मज लालाराम ।
4. नन्दकिशोर आत्मज रामनारायण जातियान कीर निवासीगण शिवपुरी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.07.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा एवं बेदखल का ग्राम बालोला तहसील हिण्डोली जिला की आराजी खसरा नम्बर 5251 रकबा 1.06 बीघा एवं खसरा नम्बर 5254 रकबा 0.02 बीघा गै0मु0 चाह के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5251 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा के किसी भी भू–भाग पर जबरन पक्का मकान निर्माण नहीं करे, भूमि का कृषि स्वरूप नष्ट नहीं करे, चाह खसरा नम्बर 5254 पर कब्जा नहीं करे, बाड नहीं लगाने व कुए से भूमि की सिंचाई करने में व्यवधान पैदा नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे । खसरा नम्बर 5251 पर बना रखे कच्चे घर को हटवाकर घर की जगह की भूमि खाली

करवाकर उक्त भूमि से प्रतिवोदीगण को बेदखल कर भूमि पर वापस कब्जा वादीगण को दिलाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं दिनांक 15.07.2015 के द्वारा दोनों पक्षकारों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम होनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजर अन्दाज करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना । सीपीसी की पालना किये बिना दोनों पक्षकारों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जबकि प्रतिवादीगण ने कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ । पीठासीन अधिकारी ने वादीगण एवं प्रतिवादीगण के उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा लिये और आगामी तारीख पेशी दिनांक 31.07.2015 नियत कर दी और कहा कि तुम्हार राजीनामा नहीं हुआ है तुम आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होना । जब अपीलान्ट नियत दिनांक 31.07.2015 को न्यायालय में गये तो उन्हें पता चला कि दिनांक 15.07.2015 को ही लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया गया । अपीलान्ट ने उसी दिन उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम होनी थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजर अन्दाज करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना, सीपीसी की पालना किये बिना दोनों पक्षकारों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । प्रतिवादीगण ने कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया है फिर भी दोनों पक्षकारों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया । पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायमी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में पक्षकारान में से वादी क्रम 1 शिवजी लाल, वादी क्रम 2 देवीशंकर एवं प्रतिवादी में से प्रतिवादी क्रम 1 दुर्गालाल एवं प्रतिवोदी क्रम 3 हीरालाल की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाए गये हैं । शेष पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादीगण द्वारा कोई काउन्टर क्लेम पेश किया गया है उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दोनों पक्षकारों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है ।

9. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.08.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.07.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा